न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1424/एक/2016 जिला–श्योपुर

अनिल कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार निवासी मेन मार्केट बडौदा जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)

2– तहसीलदार तहसील बडौदा जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... अनावेदक

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बडौदा द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 16 दिनांक 12.08.2015 पारित आदेश दिनांक 01.09.2015 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 1424/एक/2016 प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 19.05.2016 पारित किया गया है।

4. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें नामान्तरण पंजी क्रमांक 16 दिनांक 12.08.2015 एवं भूमि खसरा नं. 1901 का उल्लेख किया गया था। किन्तु माननीय न्यायालय के आदेश में दिनांक 12.08.2015 एवं खसरा क्रमांक 1900 अभिलिखित हो गया है। जो लिपिकीय त्रुटि है अतः सुधार किया जाना आवश्यक है।

अतएव निवेदन है कि आवेदन–पत्र स्वीकार कर आदेश के अंतिम पृष्ठ में आदेश दिनांक 12.08.2015 एवं खसरा नं. 1901 का उल्लेख किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जाये।

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 05.09.2016

निवेदक
अनिल कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार निवासी मेन मार्केट बडौदा जिला श्योपुर (म.प्र.)

..... आवेदक
द्वारा अभिभाषक
दिवाकर दीक्षित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक विविध 9066/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17.10.16	आवेदक अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के आवेदन पर सुना गया। अभिभाषक द्वारा बताया गया कि आदेश के अंतिम पृष्ठ में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.09.2015 लिखा गया है तथा भूमि सर्वे क्रमांक 1900 का उल्लेख है, जबकि वास्तविक रूप से आदेश दिनांक 12.08.2015 तथा भूमि सर्वे क्रमांक 1901 होना चाहिए। मेरे द्वारा अभिभाषक के तर्को निगरानी मेमों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आदेश में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.09.2015 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 1900 का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 12.08.2015 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 1901 का उल्लेख किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 1424/एक/2016 आदेश दिनांक 19.05.2016 के मूल आदेश का अंग होगा। सदस्य,	